अग्निपथ योजना

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** नीतियाँ और हस्तक्षेप, रक्षा

प्रसंग

- हाल ही में, सरकार ने नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ के तहत आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीर के लिए रक्षा मंत्रालय में 10 प्रतिशत नौकरी रिक्तियों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- ज्ञातव्य है कि अग्निपथ योजना के विरुद्ध चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच सेवा प्रमुखों के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से इस वर्ष 17.5 से 23 वर्ष की आयु के बीच के 46,000 युवाओं को अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भर्ती करने की योजना है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को 'अग्निवर' नाम से संबोधित किया जाएगा।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

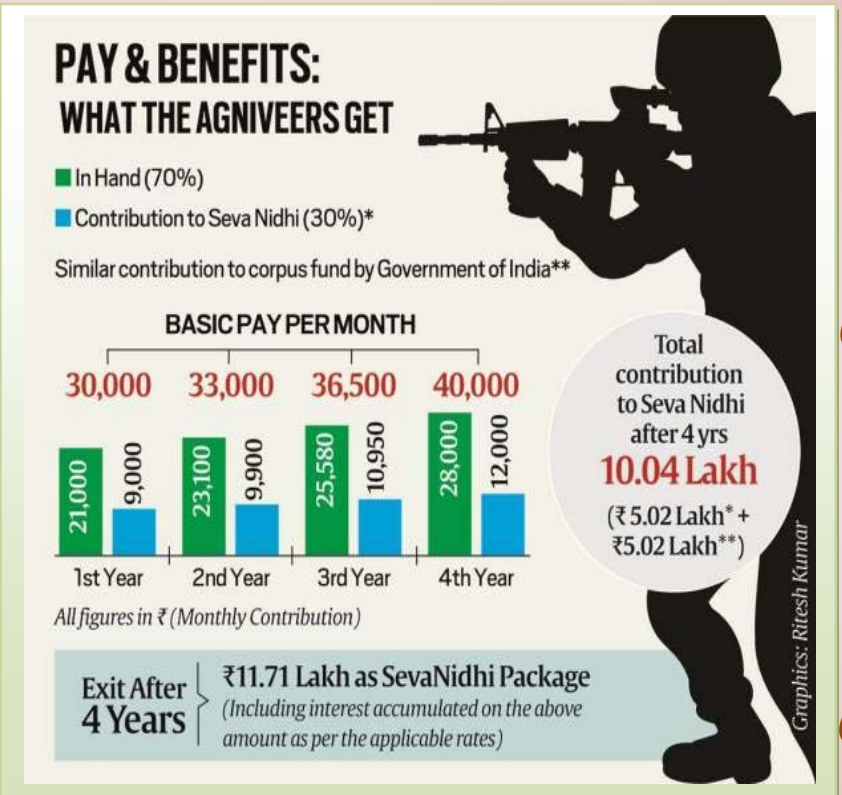

- रक्षा मंत्रालय में 10 प्रतिशत नौकरियों को अग्निपथ के लिए आरक्षित
- 10 प्रतिशत आरक्षण भारतीय तटरक्षक और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रक्षा नागरिक पदों पर प्रभावी
- यह घोषणा व्यापक विरोध और आंदोलन के बाद आई है।
- इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

अग्निपथ योजना क्या है?

- सरकार ने तीनों सेवाओं (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है।
- नई भर्ती सुधार योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर के नाम से संबोधित किया जाएगा।
- 'अग्निपथ भर्ती योजना' के तहत युवा चार साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे।
- नई योजना के तहत हर साल लगभग 45,000-50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिनमें से अधिकांश 75% की भर्ती केवल 4 वर्ष के लिए की जाएगी।
- केवल 25 फीसदी सैनिकों को चार वर्ष बाद भी अवसर मिलेगा। यद्यपि, यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हों।
- कुल वार्षिक भर्तियों में से शेष 25% स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक जारी रखने में सक्षम होंगे।
- कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे, जिन्होंने देश की सेवा की है।
- योजना के तहत सशस्त्र बलों के लिए युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- चार साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जो 11.71 लाख रुपए होगा।
- योजना के तहत इस वर्ष 46 हजार अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।

आयु सीमा में संशोधन

- केंद्र ने अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष की भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है।
- वर्ष 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती के लिए आयु में छूट सिर्फ एक बार दी जाएगी।

- विदित है कि पहले इस योजना के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई थी।
- योजना की घोषणा के दो दिनों के भीतर अपने पहले संशोधन में केंद्र ने कहा, 'इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि गत दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं था, सरकार ने यह निर्णय किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में एकमुश्त छूट दी जाएगी।'

पात्रता मापदंड

- आवेदन करने की आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित।
- 2022-23 के लिए ऊपरी आयु सीमा में 21 वर्ष से 23 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यद्यपि, यह एकमुश्त छूट होगा।
- चिकित्सा और शारीरिक स्वास्थ्य मानदंडों को मौजूदा नियमों के अनुसार पूरा किया जाएगा।
- भर्ती प्रक्रिया 'अखिल भारतीय सभी वर्ग' के आधार पर की जाएगी।

चयन के बाद की प्रक्रिया

- एक बार चयनित होने के बाद, उम्मीदवारों को छह महीने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर साढ़े तीन वर्ष के लिए तैनात किया जाएगा।
- इस अवधि के दौरान, उन्हें अतिरिक्त लाभ के साथ 30,000 रुपये का प्रारंभिक वेतन मिलेगा, जो चार वर्ष की सेवा के अंत तक 40,000 रुपये हो जाएगा।
- इस अवधि के दौरान, उनके वेतन का 30 प्रतिशत एक सेवा निधि कार्यक्रम के तहत अलग रखा जाएगा और सरकार हर महीने एक समान राशि का योगदान करेगी, जिस पर ब्याज का भी प्रावधान है।
- चार साल की अवधि के अंत में, प्रत्येक सैनिक को एकमुश्त राशि के रूप में 11.71 लाख रुपये मिलेंगे, जो कर मुक्त होगा।
- उन्हें चार साल के लिए 48 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा।

- मृत्यु के मामले में भुगतान नहीं किए गए कार्यकाल के लिए वेतन सहित 1 करोड़ रुपये से अधिक होगा।
- यद्यपि, चार वर्ष के बाद, बैच के केवल 25 प्रतिशत को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा।
- जिन्हें पुनः चयनित किया जाएगा, उनके लिए सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए प्रारंभिक चार वर्ष की अवधि पर विचार नहीं किया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया और महत्ता

- योजना के तहत 90 दिनों के भीतर भर्ती शुरू हो जाएगी, जो 'अखिल भारतीय सभी वर्ग' के आधार पर की जाएगी।
- यह सेना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ किसी भी जाति, क्षेत्र, वर्ग या धार्मिक पृष्ठभूमि से किसी को भी मौजूदा रेजिमेंट का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए समाप्त कर दिया जाएगा।

इस योजना से सशस्त्र बलों को कैसे लाभ होगा?

- यह देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने का अवसर प्रदान करेगा।
- इसके परिणामस्वरूप देश के लगभग 13 लाख सशस्त्र बलों के लिए स्थायी बल का स्तर काफी कम हो जाएगा। फलतः रक्षा पेंशन खर्च में काफी कमी आएगी, जो कई वर्षों से सरकारों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है।
- यह तीनों सेनाओं के युवा प्रोफाइल तैयार करने में सहायता करेगा।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में सेना में औसत आयु 32 वर्ष है, किन्तु इस योजना के कार्यान्वयन से यह छह से सात वर्षों में घटकर 26 वर्ष हो जाएगी।
- यह युवाओं को नई तकनीक सीखने हेतु उत्प्रेरित करेगा। इसके अलावा, स्थायी रूप से भर्ती किए जाने वाले 25% अग्निवीरों के लिए योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया से स्थायी सैनिकों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

- इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और चार साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- इससे अर्थव्यवस्था के लिए उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी, जो उत्पादकता लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगी।
- सरकार चार साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में सहायता करेगी। उन्हें स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स प्रदान किए जाएंगे और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जाएगा।

अग्निपथ योजना को लेकर व्यक्त की जा रही आपत्ति

- इस योजना को लेकर इस आधार पर आपति व्यक्त की जा रही है कि यह स्थायी संवर्ग और पेंशन लाभों को समाप्त करने का प्रावधान करती है, जो युवाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए हतोत्साहित कर सकती है।
- नई सशस्त्र सेना भर्ती योजना के तहत युवाओं को केवल 4 वर्ष के लिए सेना में लिया जाएगा, जिसके बाद केवल 25% ही भर्ती होंगे। फलतः इससे उनके रोजगार अधिकारों का हनन होगा।
- कई दिग्गजों ने सशस्त्र बलों को अल्पकालिक बल में बदलने के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो एक सैनिक की सेना के प्रति वफादारी में बाधा उत्पन्न करेगा।

निष्कर्ष

- ज्ञातव्य है कि कोई भी सुधार अचूक नहीं होता है और न ही जनमत के समर्थन के बिना कारगर सिद्ध हो सकता है। फलतः व्यक्त किए जा रहे सार्थक प्रश्नों का निवारण किया जाना चाहिए।
- सरकार को चार वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के पुनर्वास हेतु पहल करने की आवश्यकता है। इस दिशा में अग्निवीर के लिए रक्षा मंत्रालय में 10 प्रतिशत नौकरी आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना एक प्रशंसनीय कदम है।
- समग्र दृष्टि से इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यह योजना उन युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करेगी, जो राष्ट्र की सेवा करने के इच्छुक हैं। साथ ही, इसका सशस्त्र बलों के मानव संसाधन प्रबंधन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स